Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
May 2024 5(5), 509–514

WOMEN REPRESENTATION IN INDIAN POLITICS
भारतीय राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व

Smt. Sadhana Singh [1], Azad Pratap Singh [2]

[1] Research Student, Department of Political Science, Maharani Lal Kunwari Post Graduate College, Balrampur
[2] Assistant Professor, Department of Political Science, Maharani Lal Kunwari Post Graduate College, Balrampu

ABSTRACT

English: Women representation is an important topic in modern politics, it can be called a stage of overall progress of the status of women. Representation of women in electoral politics can be helpful in making various laws, hence measures can be taken at the constitutional level to promote it, which can ultimately lead to changes in the political field in practical terms. Women representation is important for democracy, and it means active participation of women in the decision-making process. Electoral participation of women establishes a link between the public and the political elite. Moreover, electoral participation of women promotes stability and order by strengthening the legitimacy of political authority. Democracy implies universal participation of eligible citizens in the electoral process. A functional democratic system cannot be established if the representation of women is less than the desired level. Women have always been in a less advantageous position in the socio-economic and political conditions of our society because the functioning of social institutions for centuries has pushed women into a narrow circle, so their power to negotiate has always been limited. In such a situation, true democratic spirit cannot emerge. Therefore, greater participation of women is necessary to ensure the democratic functioning of the existing system. Our Constitution has incorporated the concept of welfare which implies overall improvement in our lives. In this sense, it is necessary to mention that there are certain issues which are specific to women. These are major issues which need to be introduced and promoted. Continuous efforts are required for this purpose. These are issues which only women can highlight and work towards solving their problems. Increased participation of women in the electoral process also ensures women empowerment. In fact, their participation is essential for the successful functioning of the democratic system. Women representation in the state or central legislature is still low, which is not a good sign of democracy. We are well aware of the ground situation of the country regarding women representation in the functioning of the government. This also brings forth the issue of harsh real gender equality. Statistically, it has been proven that women traditionally focus less on political participation. Though democratic values have been given very high regard in the Constitution of India, and the constitutional provisions emphasize on improving the democratic system of our country, there is still a long way to go for women representation in decision making. In law making, women participation is necessary. Women can play an important role and help in making laws related to women. This will ultimately result in women empowerment. Empowering women and making them come forward and occupy more and more public space strengthens democracy. In other words, women representation can bring more participation and visibility in the legislature. Which will help in creating a system to strengthen democracy in the long run.

Hindi: आधुनिक राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण विषय है, इसे महिलाओं की स्थिति की समग्र प्रगति का एक चरण कहा जा सकता है। चुनावी राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विभिन्न कानून बनाने मे सहायक हो सकता है, अतः इसे बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक स्तर पर उपाय किए जा सकते हैं, जिससे अंततः व्यावहारिक रूप से राजनीतिक क्षेत्र मे बदलाव हो सकते हंै। महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका मतलब है निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। महिलाओं की

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i5.2024.4057

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

चुनावी भागीदारी जनता और राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच एक संबंध स्थापित करती है। इसके अलावा, महिलाओं की चुनावी भागीदारी राजनीतिक प्राधिकरण की वैधता को मजबूत करके स्थिरता और व्यवस्था को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र का तात्पर्य चुनावी प्रक्रिया में पात्र नागरिकों की सार्वभौमिक भागीदारी हैं ऐसे मे यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व वांछित स्तर मे कम है, तो एक कार्यात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नही की जा सकती है। हमारे समाज की सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक स्थितियों मे महिलाएँ हमेशा कम लाभप्रद स्थिति में रही है क्योंकि सदियों से सामाजिक संस्थाआंे के कामकाज ने महिलाओं को एक संकीर्ण दायरे मे धकेल दिया है, इसलिए बातचीत करने की उनकी शक्ति हमेशा सीमित रही है। ऐसे में सच्ची लोंकतात्रिक भावना उभर नही सकती। इसलिए, मौजूदा व्यवस्था के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। हमारे संविधान ने कल्याण की अवधारणा को इसमें शामिल किया है जिसका तात्पर्य हमारे जीवन में समग्र सुधार से है। इस अर्थ मे, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कुछ मुद्दे है जो महिलाओं के लिए विशेष है। ये बड़े मुद्दे है जिन्हें पेश करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है यह ऐसे मुद्दे है, जिन्हे केवल महिलाएं ही उजागर कर सकती है और उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में काम कर सकती है। चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी महिला सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित करती है। वास्तव मे, लोकतांत्रिक प्रणाली के सफल संचालन के लिए उनकी भागीदारी आवश्यक है। राज्य या केंद्रीय विधायिका मे महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी कम है, जो लोकतंत्र का अच्छा संकेत नही है। हम सरकार के कामकाज मेंे महिला प्रतिनिधित्व के बारे मे देश की जमीनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है यह कठोर वास्तविक लैंगिक समानता के मुद्दे को भी सामने लाती है। सांख्यिकीय रूप से, यह साबित हो चुका है कि महिलाएं पारंपरिक रूप से राजनीतिक भागीदारी पर कम ध्यान केंद्रित करती है। भारत के संविधान मे हालांकि लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत उच्च सम्मान दिया गया है, और संवैधानिक प्रावधान हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते है, लेकिन निर्णय लेने मंे महिलाओं को प्रतिनिधत्व के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। कानून बनाने मे, महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और महिलाओं से संबंधित कानून बनाने मे मदद कर सकती है। इसका परिणाम अंततः महिलाओं के सशक्तीकरण मे होगा। महिलाओं को सशक्त बनाना और उनका आगे आना और अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करना लोकतंत्र को मजबूत करता है। दूसरे शब्दों मे, महिला प्रतिनिधित्व विधायिका मे अधिक भागीदारी और दृश्यता ला सकता है। जो लंबे समय में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक प्रणाली बनाने मे मदद करेगा।

Keywords: Women, Representation, Women Representation, Politics, Empowerment, Women Participation, Reservation, Democratic Politics, Political Participation, Political Parties, Indian Constitution, Democracy महिला, प्रतिनिधत्व, महिला प्रतिनिधत्व, राजनीति, सशक्तिकरण, महिला भागीदारी, आरक्षण, लोकतांत्रिक राजनीति, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक दल, भारतीय संविधान, लोकतंत्र

1. प्रस्तावना

महिला प्रतिनिधित्व आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्रतिनिधित्व का राजनीति पहलू राजनीति में सभी वर्गो के समान संरक्षण तथा समान भागीदारी की मांग करता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विचार रखने वाले विचारकों के अनुसार यह अवधारणा प्रतिनिधि तथा निर्वाचक के मध्य संबंध को दर्शाती है। इस प्रकार महिला प्रतिनिधित्व महिलाओं को समाज मे उचित स्थान प्रदान करने तथा उनके हितों को राजनीतिक स्वरूप देते हुए भेदभाव को समाप्त करने में सहायता करता है तथा यह नीति-निर्माण के संबंध मे महिलाओं की भूमिका व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप मे बताते हुए उनके प्रति समाज का नजरिया भी दर्शाता है। भारत मे महिलाओं को राजनीति मे चयन के आधार पर सदैव भेदभाव का शिकार होना पड़ा है क्यांेकि भारतीय समाज में महिलाओं को परिस्थितियोंवश तथा उनके प्रति पितृसत्तात्मक दबाव के चलते उन्हंे गौण स्थान दिया गया है। हालांकि भारतीय संविधान किसी प्रकार की लैगिंक असमानता को नकारता है। लेकिन यह समस्या व्यावहारिक स्तर पर आज भी देखने को मिलती है। महिलाओं को चूल्हे-चैके से संसद तक लाने की बात तो खूब होती है लेकिन व्यावहारिक रूप में उनकी जिंदगी चूल्हे-चैके, घर परिवार और ग्लैमरस आर्टिकल तक ही सीमित रह जाती है क्योंकि हमारा आधुनिक भारतीय समाज आज भी राजनीति में महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने मे हिचकिचा रहा है जिस कारण से महिलाओ की भागीदारी अपेक्षा के अनुरूप नही बढ़ पा रही है आज भारत मे महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों मे आगे आ रही है। वह अपनी मेहनत और लगन के बल पर सभी क्षेत्रों मे सफलता के झण्डे गाड़ रही हैं लेकिन राजनीति का क्षेत्र आज भी महिलाओं के लिए नगन्य ही साबित हो रहा है।

राजनीति मे रूचि रखने वाली महिलाओं की संख्या तो कम है ही इस क्षेत्र मे उनकी सफलता की दर और भी कम है। राजनीति मे महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हमारा पुरूष प्रधान समाज और पुरूषांे के प्रभुत्व वाली राजनीति। अगर हम महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता के संदर्भ मे इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है कि वैदिक युग मे महिलाओं की स्थिति भी काफी अच्छी थी उस समय सामाजिक संरचना मातृ-सत्तात्मक थी और परिवार व समाज की राजनीति महिलाओं के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती थी इसके बाद धीरे-धीरे महिलाओ की स्थिति खराब होती गई और मध्यकालीन भारतीय समाज मे महिलाओं से उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा छीन कर उन्हे घर की दहलीज तक सीमित कर दिया गया। आधुनिक भारतीय इतिहास के शुरूआत के दौर मे महिलाएं राजनीतिक रूप से फिर कुछ ऊपर उठीं थीं और भारत की आजादी के शासन संघर्ष के दौरान कई महिलाओं ने आगे बढ़कर सेना की कमान भी संभाली और गोरों के दांत खट्टे किए थे तथा गांधी जी के आवाहन पर महिलाएं विशुद्ध राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आई थीं। आजादी के बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें महिलाओं को समान राजनीतिक व सामाजिक अधिकार भी दिए गए किन्तु आंकड़े बताते है कि आजादी के बाद राजनीति मंे महिलाओं की भागीदारी और निर्णयात्मक पदों पर उनकी उपस्थिति अपेक्षा के अनुरूप नही रही है। महिलाओं की राजनीतिक निष्क्रियता और सत्ता में उनकी भागीदारी की कमी के कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक कारण रहे हंै। उनके इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए अन्य कारकों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों का महिलाओं के प्रति नजरिया भी एक प्रमुख कारक रहा है। महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सन्दर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों का विश्लेषण करते समय इस बिन्दुपर ध्यान देना आवश्यक है कि हमारी राजनीतिक दलों के ऐतिहासिक विकास मे महिलाएं कहां तक सक्रिय रही है? किस संख्या मे उन्हे संगठन मे लिया जाता है? और किस सीमा तक उन्हे संगठन मे निर्णय लेने के योग्य समझा गया है। किसी भी संगठन के विकास का प्रतिमान उसकी सदस्यता को माना जा सकता है इसलिए किसी राजनीतिक संगठन की सदस्यता में वृद्धि अथवा कमी को संगठन की शक्ति मे वृद्धि या कमी का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार किसी वर्ग विशेष का किसी दल या संगठन की सदस्यता के अनुपात से उस वर्ग के संगठन मे प्रतिनिधित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यता संबधी आंकड़े देखने पर काफी निराशाजनक तस्वीर उभर कर सामने आती है क्योकि अधिकतर दल अपने सदस्यता अभियान मे महिलाओं को कोई तरजीह नही देतें हंै।

हर लोकतांत्रिक सरकार राजनीतिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी के सिद्धांत पर बनी होती है। लोकंतत्र मे प्रत्येक व्यक्ति के पास मतदान करने, प्रतिनिधित्व करने और एक राजनीतिक दल के लिए काम करने जैसी विविध गतिविधियों के माध्यम से सरकार की दिशा और निर्णय लेने पर प्रभाव डालने की क्षमता होती है। राजनीति सहित रोजमर्रा की जिंदगी के कई हिस्सो से महिलाओं का बहिष्कार लांेकतांत्रिक भागीदारी के मूल सिद्धांत के विपरीत है। जब महिलाएं राजनीति में प्रभावी और सक्रिय तरीके से भाग लेती है तो लोकतंत्र अधिक प्रभावी होता है, क्योकि वे पूरी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। दुनिया भर मे लगभग हर जगह महिलाओं को अधीन और हाशिए पर रखा जाता है, और यह राजनीति के क्षेत्र मे सबसे अधिक स्पष्ट है, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी बहिष्कृत श्रेणी है। महिलाओं की बेहतर और अधिक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किए बिना सच्ची लोकतांत्रिक भावना और लैगिंक न्याय हासिल नही किया जा सकता है।

भारत के संविधान के तहत सभी नागरिकों को समान सुरक्षा और कानून तक समान पहुँच की गारंटी दी गई है, हालाँकि, महिलाओं के मामले मे यह देखा गया है कि सामाजिक संरचना से उत्पन्न विभिन्न कारकों के कारण इन अधिकारों को अभी तक वास्तविक रूप नही दिया गया है। वास्तव में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रो मे अलग-अलग मानदंडो और आदर्शों का दावा करते हुए अधिकारों से वंचित किया गया है, विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र मे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। हालांकि महिलाओं द्वारा वोट देने के अधिकार का बढ़-चढ़कर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी या प्रतिनिधित्व मे वृद्धि नही हुई है, जिसके कारण राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं मे उनका प्रतिनिधित्व कम है और साथ ही नीतियाँ बनाते समय और निर्णय लेते समय उनके विभिन्न शिकायतों की अनदेखी भी की गई है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक दूसरे से अलग है केवल भागीदारी से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नही हो सकता, प्रतिनिधित्व के लिए भागीदारी ही पर्याप्त नही है। यह देखा गया है कि पूरी दुनिया मे महिलाएं हर सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन मे आर्गे आइं और सक्रिय रूप से योगदान दिया, लेकिन एक बार लक्ष्य हासिल हो जाने के बाद महिलाएं अपनी मर्जी से या व्यवस्थित दबाव में अपने पहले के नियमित घरेलू जीवन मे वापस लौट जाती है। इतिहास मे जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए है, उनमे महिलाएं शामिल रही है, लेकिन आज तक राजनीति मे उनकी समान उपस्थिति सुनिश्चित नही हो पाई है। उनकी समझ, बुद्धि और कौशल का राजनीति के क्षेत्र मे कम उपयोग किया जाता है, बल्कि उनका उपयोग नही किया जाता है, जो कि सरकारों की नीतियों और निर्णयों पर सार्थक प्रभाव डाल सकते थे। इस वजह से समाज मे मौजूद सत्ता संबंधो मे महिलाएं वंचित स्थिति मे हंै और उन्हे सशक्त बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं और पुरूषों को समान रूप से और सक्रिय रूप से योगदान देना होता हैै। लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के एक जटिल समूह ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र मंे हाशिये पर धकेल दिया है। प्रतिकूल सामाजिक मानदंड और सत्ता संरचना महिलाओं के भाग्य पर लगातार नियंत्रण रखती है। पुरूषों की तुलना में महिलाओं की असुविधाजनक स्थिति अप्राकृति है और यह स्पष्ट जैविक अंतर के कारण नही है इसलिए इस पक्षपाती समीकरण पर सवाल उठाया जाना चाहिए क्योंकि इसे बदला जा सकता है। एक आधुनिक एकल परिवार महिलाओं के श्रम का उपयोग करता है जिसे मान्यता नहीं दी जाती है और भुगतान भी नहीं किया जाता है। घर का पुरूष ज्यादातर मामलों मे एकमात्र कमाने वाला होने के कारण परिवार मे उच्च दर्जा प्राप्त करता है, जबकि परिवार मे महिला के श्रम को मान्यता नही मिलती है, इस प्रकार पूरी प्रक्रिया मे महिलाएं गुलाम बन जाती है। यह व्यवस्थित उत्पीड़न को भी जन्म देता है। एंगेल्स परिवार मे पुरूष को बुर्जुआ और पत्नी को सर्वहारा के रूप मे देखते है (एफ,एंगेल्स 1972)। महिलाओं को सदियों से देखभाल करने वाली पालन-पोषण करने वाली, उपभोक्ता के रूप मे देखा जाता रहा है, वह रक्षक या निर्माता नही है, और इस तरह की धारणा की

निरंतरता के परिणामस्वरूप , महिलाओं को समाज मे ंनिम्न भूमिकाएं सौपी गई है। महिलाओं के सतत हाशिए पर रहने और अधीनता के संदर्भ में, वर्ष 1975 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला वर्ष और 1975-85 के दशक को महिला दशक के रूप मे घोषित किया गया था। इसके कारण 1985 मंे महिलाओं के साथ एक नए युग के लिए विकास विकल्प का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य कानूनी और संस्थागत स्तर पर सुधार लाना था ताकि महिलाओं के अधीनता की निरंतरता और सुदृढ़ीकरण को रोका जा सके। महिलाओं के अधीनता की समस्या को दूर करने के लिए समाज की शक्ति संरचना मे संशोधन की आवश्यकता है। पिछली सदी के उत्तरार्ध मे दुनिया भर में महिलाओं की सक्रियता मे उछाल आया है क्योंकि वह अपने अधिकारों, स्वतंत्रता, पहचान, विकास और सशक्तिकरण के लिए दावा करने वाले आंदोलन के समावेशी हिस्से के रूप मे उभरीं हैं। समाज में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं और समाज मे उनकी स्थिति के बारे में पुरूषों और महिलाओं दोनों के दृष्टिकोण को बदलने की दिशा मे यह एक लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा रही है। अब बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिक्षा स्वास्थ्य नीति-निर्माण के क्षेत्र मे भाग लेना शुरू कर दिया है और विभिन्न संगठनों मंे महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन होना शुरू कर दिया है।

समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं पर बीजिंग सम्मेलन ने महिलाओं के विकास के लिए बारह महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की और इस बात पर जोर दिया कि मानव अधिकार महिलाओं के अधिकार हंै ..... और महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार हैं। सम्मेलन ने साक्षरता, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तीकरण, निर्णय लेने आदि कारकों के साथ बालिका की स्थिति पर प्रकाश डाला जो महिलाओं की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण और समस्याग्रस्त दोनों क्षेत्र हंै। महिलाओं के विकास के बिना, मानव जाति का समग्र और बहुआयामी विकास संभव नही है ,विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति और उनकी भूमिका मे सुधार के लिए सभी राष्ट्र-राज्यों के बीच समानता, संप्रभुता, परस्पर, निर्भरता, साझा, हित और सहयोग पर आधारित एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की पुनस्थापना के लिए वैश्विक परियोजना का एक अभिन्न अंग होना चाहिए (मैत्रेयी कृष्णराज, 1988)। महिलाओं की भूमिका और स्थिति से संबंधित मुद्दे राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना और नीतियंा एक ही समस्या के लिए अलग-अलग आयाम बनाती है और विविधतांए लाती है। यही कारण है कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का एक समाधान नही हो सकता।

महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाला लिंग एक महत्वपूर्ण कारक है लेकिन यह एकमात्र कारण नही है। इसके अतिरिक्त नस्ल, वर्ग, जाति, धर्म आदि की अंतर्सबधता भेदभाव और हाशिए पर जाने की स्थापना में महत्वपूर्ण कारक है। ''लिंग एक कारक समस्या नही है यह सिर्फ सेक्स से कहीं अधिक है। मौजूदा सामाजिक व्यवस्था लिंग की अवधारणा पर आधारित है। लिंग के सामाजिक निर्माण के दृष्टिकोण से, महिलाओं और पुरूषो को लिंग श्रेणियों (महिला-पुरूष, स्त्री-पुरूष, लड़कियां-लड़के, महिला-पुरूष) के रूप मे माना जाता है और इस दृष्टिकोण से रोजमर्रा की जिंदगी और परिवार और अर्थव्यवस्था जैसी प्रमुख संस्थाओं में संबंधो को परिभाषित किया गया है,'' (गुडिथ लाॅबर और सुसान फैरेल, सुसान, 1991)। लिंग मुख्य रूप मे एक सामाजिक निर्माण है जो पुरूष-महिला संबंधों को संदर्भित करता है। जो महिलाओं को एक निम्न भूमिका मे रखता है यह महिलाओं को दूसरा लिंग बनाता है। राजनीति मे पुरूष वर्चस्व की जड़ें बहुत गहरी है और बहुत गहन और जटिल है। महिलाओं की यह गहरी और जटिल प्रक्रिया एक गंभीर समस्या है जिसे केवल विभिन्न संगठनों, राजनीति दलों या विधायिकाओं मंे आलंकारिक पहलू को संबोधित करके हल नही किया जा सकता है। संख्या महत्वपूर्ण है लेकिन राजनीतिक में महिलाओं की वृद्धि को बनाए रखने के लिए इसके बाद अन्य कदम उठाने होंगे। समस्या को हल करने के लिए संख्या अपने आप मे पर्याप्त नहीं है। राजनीति को एक पेशे के रूप मे अधिक लैगिंक समानता वाला बनाने और यह समझनेे के लिए कि पुरूषों का अधिक प्रतिनिधित्व क्यांे है और व्यापक लैंगिक अंधता क्यों है, महत्वपूर्ण बदलावो की आवश्यकता है। राजनीतिक गतिविधि में लैगिंक चिंताए उन लैंगिक संस्थाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता का परिणाम है जो उन्हें उत्पन्न और समर्थन करती हंै।

यूनेस्कों द्वारा गठित विश्व संस्कृति एवं विकास आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1999) मे यह विचार व्यक्त किया था कि प्रत्येक समाज के सांस्कृतिक ताने-बाने में लैगिंक आयाम होना चाहिए जिसे चार प्रमुख क्षेत्रों मे विद्यमान नीतियों की समीक्षा करके प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात् ;पद्ध महिलाओं के अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप मे मान्यता, ;पपद्ध महिलाओं की प्रजनन स्वतंत्रता, ;पपपद्ध सभी परियोजनाओं और कार्यक्रमों की लैगिंक जागरूकता के आधार पर योजना बनाना, और ;पअद्ध जीवन के सभी क्षेत्रों मे महिलाआंे की नागरिक और सांस्कृतिक भागीदारी को बढ़ाना (यूनेस्को 1999)।

लिंग एक अत्यधिक राजनीतिक क्षेत्र बन गया है और यह विरोधाभास से भरा हुआ है क्यांेकि राजनीतिक शक्ति, काफी हद तक, पुरूषों द्वारा एकाधिकार कर ली गई है और महिलाएं पुरूषों के नियमों के अनुसार सत्ता का खेल-खेल रही है, (केर्नी, 2000)। पूरी दुनिया मे महिलाओं के विकास, निर्णय लेने की क्षमता, खुद को अभिव्यक्त करने और अपनी अलग आवाज रखने से जुड़े मुद्दों को महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष के तत्वों के रूप मे पहचाना गया है। सशक्तिकरण कई रूप ले सकता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल है। महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण घर और समाज मे सभ्य जीवन से जुड़ा हुआ है जिसमें पुरूषों की तरह ही उन्हें भी चुनाव करने का समान अधिकार होता है। आर्थिक सशक्तिकरण पैसा कमाना या संपत्ति का मालिक होने के अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करने तथा उनसे संबंधित नियमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन मे न्याय संगत पहुंच भी शामिल है। दूसरी ओर राजनीतिक सशक्तिकरण को सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर ले जाने वाला माना जा सकता है। डाॅ0 अंम्बेडकर के अनुसार, ''सभी बंद दरवाजे की कुंजी राजनीतिक शक्ति है।'' अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सही कानून पारित करें, वह कानून जो महिलाओं की प्रगति मंे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकतें हंै। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वी0पी0सिंह ने कहा, सत्ता-साझाकरण के बिना समानता नही आ सकती। नतीजतन, समाज मे समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण हैै।

सत्ता पर नारीवादी व्याख्या ने व्यक्तिगत को राजनीतिक के रूप में आत्मसात कर लिया है, जिससे सशक्तिकरण की व्यापक समझ पैदा हुई है। नारीवादी के दृष्टिकोण से, सत्ता में यह समझना शामिल है कि बाहरी संचालन और आंतरिक संचालन की किसी विशेष स्थिति मंे लोग किस तरह से व्यवहार करते है और कैसे एक-दूसरे पर प्रतिक्रिया करते है। इस प्रकार, केवल भागीदारी से निर्णय लेने मे भागीदारी नही होती है महिलाओं को यह विश्वास होना चाहिए कि वे निर्णय लेने में सक्षम और हकदार है।

अब्राहम लिंकन ने कहा था, कोई भी राष्ट्र आधा स्वतंत्र और आधा गुलाम होकर आगे नही बढ़ सकता। राजनीति को हमेशा से पुरूषों का क्षेत्र माना जाता रहा है और महिलाओं का प्रवेश विभिन्न कारकों, जैसे सामाजिक, परिस्थितिजन्य, राजनीतिक आदि द्वारा सीमित किया गया। महिलाओं की राजनीतिक स्थिति समाज के वास्तविक चरित्र को दर्शाती है। महिलाओं को अपने सभी निर्णय लेने में समानता और स्वतंत्रता प्राप्त है और सत्ता मे साझेदारी का दायरा एक राष्ट्र के विकास को दर्शाता है। निर्णय और नीति और निर्माण की प्रक्रिया मे महिलाओं के योगदान के अभाव मे राजनीतिक सशक्तिकरण निरर्थक और नकली है। राजनीतिक भागीदारी राजनीतिक सशाक्तिकरण से आती है, और इससे पूरे समाज का विकास होता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सत्ता मे साझेदारी तक पहुंच, नीति- निर्माताओं के स्तर पर स्थान, अपने समृद्धि व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने में योगदान और विकल्प शामिल है। यह सबसे व्यापक रूप से देखा गया है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी मुख्य रूप से मतदान, कभी-कभी उनकी उम्मीदवारी राजनीतिक दलों में उनकी साकेंतिक सदस्यता और विधानसभाओं में मामूली उपस्थिति तक ही सीमित है। इस प्रकार लोकतांत्रिक नागरिकता अनिवार्य रूप से भागीदारी और समानता की धारणाओं से जुड़ी हुई है। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सत्ता और उसके संस्थागतकरण की जांच की जा सकती है और इसे अधिक लोकतांत्रिक और समानता के मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए रूपांतरित किया जा सकता है। भागीदारी और समानता के लिए महिलाओं के अधिकारों के बारे में विवाद महिलाओं के कर्तव्यों और समाज और घर में उनकी स्थिति की पारम्परिक विचारों को हिला रहे हैं। महिलाओं एवं राजनीति का लम्बे समय से एक अशांत सम्बन्ध रहा है। आरक्षण के पीछे का औचित्य लम्बे समय तक लोगों के एक समूह द्वारा झेली गयी असुविधा, कमजोरी और अधीनता है।

नारीवाद की दूसरी लहर में, लैंिगंक समानता के साथ-साथ महिलाओं को संस्थागत और राजनीतिक बनाया गया है। राजनेताओं को पर्याप्त महिला सहयोगी न मिल पाना 1990 के दशक की शुरूआत से ही एक लगातार समस्या रही है। सार्वजनिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ''लोकतांत्रिक कमी'' की ओर इशारा किया है, जिसका अर्थ है महिलाओं और अन्य अल्पसंख्यकों जैसे कुछ समूहों को व्यवस्थति रूप से राजनीतिक प्रक्रिया मंे सार्थक आवाज़ और प्रभाव डालने से बाहर रखना। प्रतिनिधित्व की चुनौती पर बहस समानता और कोटा के बारे में चिन्ताओं को बनाये रखती है। राजनीति में महिला प्रतिनिधत्व की कमी को दूर करने के लिए, कोटा और समानता को समाधान के रूप में प्रस्तावित किया जाता रहा है।

महिलाओं के समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता ने महिला अधिकारों और पहचान की राजनीति को जन्म दिया है। सदैव से महिलाआंे को हर सम्भव तरीके से हाशिए पर रखा गया है और इस प्रकार महिलाओं के हित में उठाये गये मुद्दे कई तरह के हैं, और संघर्षो से भरे हुए हैं और यह कभी-कभी विरोधाभासी भी होते हैं। इस प्रकार संसद में महिलाओं की बढ़ती संख्या की आवश्यकता और मांग कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है और क्या प्रतिनिधित्व किया जा रहा है यह मुद्दा कठिन चिन्ताऐं पैदा करता है। एक दृष्टिकोण के अनुसार इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि निर्वाचित महिलाऐं, महिलाओं के मुद्दांे को राजनीतिक एजेंडे के रूप में उठायंेगी क्योंकि उन पर पार्टी की विचारधारा का पालन करने का दबाव होगा। लेकिन अब महिलाओं में नागरिक और राजनीतिक शक्तिहीनता का एक सामान्य बोध है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सक्रिय राजनीति और निर्णय लेने वाली संस्थाओं ने पुरूषों और महिलाओं की समान भागीदारी के परिणामस्वरूप राजनीतिक समस्याओं को प्राथमिकता देने के लिए अलग-अगल मानदण्ड बनते हैं। नारीवादी सिद्धान्तकारांे के अनुसार अब महिलाओ के लिए अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए संस्थागत परिसम्पत्तियों और संसाधनों का लाभ उठाना सम्भव होगा, ताकि वे सत्ता के सम्बन्धों को प्रभावित कर सकें।

महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं को राजनीति में उनका स्थान दिलाने तथा राजनीतिक संस्थाओं को महिलाओं के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए बनाया गया है। यह समाज में वर्तमान शक्ति असन्तुलन को लक्षित करने वाला एक सुधारात्मक उपाय है। भारतीय संविधान में महिलाओ के लिए संसद और राज्य विधानसभा में सीटों को आरक्षित करने के लिए 19 सितम्बर 2023 को लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक पेश किया गया जिसमें लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहायी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। यह विधेयक अपने 27 वर्षों के लम्बे इन्तजार के बाद पूर्ण सहमति से पास हो गया, और संविधान में 106वां संविधान संशोधन करके पारित भी कर दिया गया है, लेकिन यह विधेयक अगले जनगणना के बाद लागू होगा जिसमें अभी काफी समय है। यह संशोधन होने के बाद 18वां लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ लेकिन क्योंकि अभी यह संशोधन लागू नहीं हुआ है इसलिए महिलाओं को आरक्षित सीटों का लाभ नहीं मिल पाया है।

वर्तमान 18वीं लोकसभा की 543 सीटों में इस बार सिर्फ 74 महिला सांसद ही हैं। पिछली लोकसभा में यह संख्या 78 थी। इस बार चुनी गयी महिला प्रतिनिधि नई संसद का केवल 13.63 प्रतिशत हिस्सा है, सबसे अधिक 31 महिला सांसद इस बार बी0जे0पी0 से हैं, वहीं कांगे्रस से 13, तृणमूल कांगे्रस (टी0एम0सी0) से 11, समाजवादी पार्टी से 5 और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डी0एम0के0) से 3 महिला सांसद चुनी गयी हैं, बिहार की पार्टियां जनता दल युनाइटेड (जे0डी0यू0) और लोक जन शक्ति पार्टी (लोजपा) से दो-दो महिला सांसद चुनी गयी हैं। अगर हम महिला उम्मीदवारों की संख्या पर नजर डालते हैं तो 1957 के आम चुनाव से लेकर 2024 के चुनाव तक महिला उम्मीदवारों का आंकड़ा 1000 के पार नहीं जा पाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 8360 उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि प्रत्याशियों की इस विशाल संख्या में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी सिर्फ 10 फीसदी ही रही। इस बार लोकसभा की 543 सीटों पर केवल 797 महिला प्रत्याशियों ने ही चुनाव लड़ा। महिला सांसदों की घटती संख्या के पीछे सबसे बड़ी चुनौती उनकी कम उम्मीदवारी भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 726 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा लेकिन तब 78 महिलाऐं ही जीतकर संसद

पहुंची थीं। वहीं 2014 में 640 महिला उम्मीदवार थीं। और इनमें 62 महिलाऐं सांसद बनी थीं, 2009 के चुनाव में 556 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं, जिनमें से 58 महिलाऐं संसद पहुंची थीं। हर लोकसभा चुनाव के साथ महिला उम्मीदवारों की संख्या तो जरूर बढ़ी है लेकिन इनमें से चुनकर संसद तक पहुंचने का सफर बेहद कम महिलाऐं ही तय कर पाती हैं। शायद यही कारण है कि देश की अधिकतर बड़ी पार्टियों ने भी महिलाओं को टिकट देने में उतनी उदारता नहीं दिखायी है। सत्ताधारी बी0जे0पी0 ने 69 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया वहीं देश की दूसरी सबसे बड़े पार्टी कांग्रेस ने भी केवल 41 महिला उम्मीदवारों को ही टिकट दिया, बहुजन समाज पार्टी ने 37 और सपा ने 14 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा। पश्चिम बंगाल में टी0एम0सी0 ने 12 महिलाओं को ही टिकट दिया था। महिलाओ के प्रति पार्टियों का यह रवैया तब ऐसा है जब भारत में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि यह विधेयक अभी तक लागू नहीं हुआ है लेकिन विभिन्न पार्टियों द्वारा महिला प्रतिनिधियों को दिये गये इस साल के टिकट के आंकड़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अधिकतर पार्टियां 33 फीसदी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लक्ष्य से बेहद दूर हैं।

उपसंहार-यद्यपि मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है, लेकिन पार्टी स्तर पर उनकी स्थिति और संसद में उनके प्रतिनिधत्व में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। पुरूषों और महिलाओं का समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोगों के जरूरतों से निपटने में अधिक प्रभावी है। समावेशी वृद्धि और विकास के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में अब और देरी नहीं की जा सकती है। नेतृत्व के पदों पर पुरूषों और महिलाओं की अक्सर अलग-अलग प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण होते हैं, जिससे राजनीति में दोनों लिंगो का होना आवश्यक हो जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया वास्तव में प्रतिनिधित्व करती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान सभी श्रेणियों की मांगों पर विचार किया जाता है। राजनीति में लैंगिंक समानता प्राप्त करने के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण आवश्यक है। महिलाओं को सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल होने और व्यापक प्रभाव वाले राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति देने के लिए यह महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन मुद्दो के लिए जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं। यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण महिलाओं को राजनीति में अपना सही स्थान लेने से रोकने वाली वास्तविक बाधाओं की भरपाई करता है। यदि राजनीति में अधिक महिलाऐं होंगी तो प्रतिकात्मक महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले तनाव में कमी आयेगी। महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व एक संवैधानिक अधिकार है। राजनीति में महिलाओ के दृष्टिकोण और अनुभव आवश्यक हैं। महिलाऐं, महिलाओं की विभिन्न मांगो को प्रतिबिम्बित करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। हालांकि चुनाव सिर्फ प्रतिनिधित्व के बारे में होते हैं न कि शैक्षिणिक योग्यता के बारे में, लेकिन यह देखा गया है कि पितृसत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था के तहत महिलाओं की योग्यता और उपलब्धियों को कम किया जाता है और उन्हें कमतर आंका जाता है। आरक्षण के कारण पुरूषों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जायेगा बल्कि इससे राजनीतिक दलों का पुरूषो के प्रति सामान्य झुकाव बदल जायेगा।

संदर्भग्रंथ सूची

तिवारी, आर0पी0, एवं शुक्ला, डी0पी0(1999), भारतीय नारीः वर्तमान समस्याऐं और भावी समाधान, ए0पी0एच0 पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।

एम0 सारस्वत, स्वप्रिल (2003), भारतीय राजनीति और महिलायें, अक्षरांकन प्रकाशन, नोएडा

स्याल, शांति कुमार(2000), नारी अधिकार, आत्माराम एंड संस, दिल्ली।

द्विवेदी, राकेश (2005), महिला सशक्तिकरणः चुनौतियां एवं रणनीतियां, पूर्वाशा प्रकाशन, भोपाल

शुक्ल, प्रवीण (2009), महिला सशक्तिकरण, बाधायें एवं संकल्प, आर0के0 पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली

ओझा, सुरेश (2009), महिला कानून, भारतीय महिलाओं के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक कानूनों की सरल-सुबोध जानकारी, सर्जना प्रकाशन, बीकानेर

एंगेल्स, एफ0 (1972), द ओरिजिन आॅफ द फैमिली, प्राॅपर्टी एंड द स्टेट, न्यूयाॅर्क, इंटरनेशनल पब्लिशर्स, पेज नं0 510

कृष्णाराज, मैत्रेयी (1988), महिला और विकास, भारतीय अनुभव, शुभद सारस्वत प्रकाशन, पुणे, पेज नं0 20-22

केर्नी, मैरी लुईस (2000), ओवरव्यूफ्राॅम रिटोरिक टू रियलिटी, यूनेस्को

लाॅबर, जुडिथ और फैरेल, सुसान ए. (1991), द सोशल कंस्ट्रक्शन आॅफ जेंडर, सेज पब्लिकेशंस, लंदन, पी0 आई0

यूनेस्को, (1999), सांस्कृतिक नीतियों और विकास पर अंतरसरकारी सम्मेलन, स्टाॅकहोम, (फाइनल रपोर्ट) पेरिस

कौशिक, आशा (2011), समता, विकास, शक्तिः नारी सशक्तिकरण के उभरते क्षितिज, गुहराती चुनौतियां-नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, पेंटर पब्लिशर्स जयपुर।

मेनन, निवेदिता (1999), भारत में लिंग और राजनीति, नई दिल्ली, आॅक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस

https://sansad.in/Is

https://www.eci.gov.in/

https://www.jansatta.com/national/women-quota-in-parliament-and-state- assemblies-issue-of-delimitation-need-to-implement-women- reservation/3014694/

https://timesofindia.indiatimes.com/india/after-27-year-wait-womens-quota-bill-cleared-in-days/articleshow/103846990.cms

https//pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1959338